न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-256RAAJodhpur2024-100RTA223 Dudaram Vs Praveen kumar etc

दुदाराम पुत्र श्री हुकमाराम, जाति जाट, निवासी– श्रीकृष्णनगर, तहसील आऊ, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. प्रवीण कुमार पुत्र श्री भेरूसिंह, जाति जाट, निवासी– श्रीकृष्णनगर, तहसील आउ, जिला फलोदी।
2. चेतनराम पुत्र श्री हुकमाराम
3. पूराराम पुत्र श्री हुकमाराम
4. पुनाराम पुत्र श्री हुकमाराम
5. समुदेवी पत्नी श्री रेवन्तराम
6. धापु पत्नी श्री अशोक
7. प्रमीला पत्नी श्री बाबूदेवी
8. उमादेवी पुत्री श्री बाबूदेवी
9. संतोष पुत्री श्रीमती बाबूदेवी
10. धन्नाराम पुत्र श्रीमती बाबूदेवी
11. पप्पूराम पुत्र श्रीमती बाबूदेवी
12. प्रेमाराम पुत्र श्रीमती बाबूदेवी
    सभी जातियान् जाट, निवासीगण– श्री कृष्णनगर, तहसील आउ, जिला फलोदी।
13. मगाराम पुत्र श्री फताराम फौत के कायम मुकामः–
    - 13.1. जेठी पत्नी स्व. श्री मगाराम
    - 13.2. श्रवणराम पुत्र स्व. श्री मगाराम
    - 13.3. दलाराम पुत्र स्व. श्री मगाराम
    - 13.4. पूरा पुत्री स्व. श्री मगाराम पत्नी श्री तिलाराम
    - 13.5. संतोष पुत्री स्व. श्री मगाराम पत्नी श्री आसूराम
    - 13.6. दिपिका पुत्री स्व. श्री मगाराम नाबालिग जरिये कुदरती माता जेठी पत्नी स्व. श्री मगाराम
    - 13.7. पुनी पुत्री स्व. मगाराम पत्नी श्री आईदानराम, जाति जाट गोदारा, निवासी– चिमाणा, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।
    - 13.8. कुनी पुत्री स्व. श्री मगाराम पत्नी श्री प्रेमाराम
    - 13.9. चुखी पुत्री स्व. श्री मगाराम पत्नी श्री किसनाराम
    - 13.10. चुन्नी पुत्री स्व. श्री मगाराम, पत्नी श्री तिलोक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी जातियान् जाट, निवासीगण– कपुरिया, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आऊ।
15. ग्राम पंचायत श्री कृष्णनगर, जरिये सचिव।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जून 2024 सहायक कलक्टर आऊ राजस्व मूल वाद संख्या 267/2023 प्रवीण कुमार बनाम चेतनराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 व 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 14
रेस्पोडेंट संख्या एक स्वयं उपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 29 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 267/2023 अनवान प्रवीण कुमार बनाम चेतनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जून 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 जून 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1632 रकबा 7.7700 हैक्टेयर ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील आऊ के संबंध धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10 जून 2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सहित अपीलांट की अन्य आराजीयात के संबंध में विचारण न्यायालय में पूर्व में वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जो अदालत हाज द्वारा स्वीकार की जाकर रिमाण्ड की गई। रेस्पोडेंट्स द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई, जिसे बाद में जरिये विड्रो खारिज करवा लिया गया। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय का निर्णय की पालना में विचारण न्यायालय में पूर्व वाद विचाराधीन है, जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट संख्या एक को भलीभांति है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करते हुए नया वाद प्रस्तुत कर उसमें एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित करवाने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। अपीलार्थी को पुरे मामले में किसी स्तर पर सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। विचारण न्यायालय को पूर्व लंबित वाद का निस्तारण किया जाना आवश्यक था। पूर्व वाद के लंबित रहते नया वाद धारा 10 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नहीं था एवं निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए अपीलीाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में उपस्थित होने का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 267/2023 अनवान प्रवीण कुमार बनाम चेतनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जून 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक, तीन व चार के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर रजिस्टर्ड डाक से सम्मन की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिस कारण विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। अपीलांट का उज्र है कि पूर्व वाद के विचाराधीन रहते नया वाद प्रस्तुत कर अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। इस संबंध में निवेदन है कि रिमाण्ड प्रकरण में मृतक वादी मगाराम की कायम मुकाम कार्यवाही नहीं किये जाने से वाद खारिज हो गया। रेस्पोडेंट संख्या एक पूर्व वाद में पक्षकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या एक खरीददार है, जिन्होंने अपनी खरीदसुदा भूमि के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया है। पूर्व वाद की शेष भूमियों के खातेदारान् द्वारा भी नवीन पृथक–पृथक वाद प्रस्तुत किये है, जिनमें अंतिम डिक्री जारी होकर विभाजन हो चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट के हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक–हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2023 को वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन के जरिये तलब किया गया, जिसकी पोस्टल रसीदे विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। पर्याप्त अवधि बीत जाने पर भी अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 13 फरवरी 2024 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वादी से साक्ष्य ली जाकर प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर ओपलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1362 रकबा 7.7700 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी प्रदर्श–1 में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार आऊ को आदेशित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधी निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है।

अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय में पूर्व वाद के विचाराधीन रहते वादी/रेस्पोडेंट द्वारा नया वाद प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। इस संबंध में उपलबध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व वाद दिनांक 23.10.2023 को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। रेस्पोडेंट संख्या एक का कथन है कि वह पूर्व वाद में पक्षकार नहीं है तथा पूर्व वाद में वर्णित आराजीयात का नवीन वादों के जरिये विभाजन हो चुका है, केवल उनकी खरीदसुदा अपीलाधीन आराजी का ही विभाजन शेष रहने से उसके द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में पूर्व वाद के अधीन आराजीयात का विभाजन हो जाने से अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 267/2023 अनवान प्रवीण कुमार बनाम चेतनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जून 2024 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-256RAAJodhpur2024-100RTA223 Dudaram Vs Praveen kumar et c

अपीलाण्ट	ब ना म	रेस्पोडेण्ट
01. दुदाराम पुत्र श्री हुकमाराम, जाति जाट, निवासी– श्रीकृष्णनगर, तहसील आऊ, जिला फलोदी।		1. प्रवीण कुमार पुत्र श्री भेरूसिंह, जाति जाट, निवासी– श्रीकृष्णनगर, तहसील आउ, जिला फलोदी। 2. चेतनराम पुत्र श्री हुकमाराम 3. पूराराम पुत्र श्री हुकमाराम 4. पुनाराम पुत्र श्री हुकमाराम 5. समुदेवी पत्नी श्री रेवन्तराम 6. धापु पत्नी श्री अशोक 7. प्रमीला पत्नी श्री बाबूदेवी 8. उमादेवी पुत्री श्री बाबूदेवी 9. संतोष पुत्री श्रीमती बाबूदेवी 10. धन्नाराम पुत्र श्रीमती बाबूदेवी 11. पप्पूराम पुत्र श्रीमती बाबूदेवी 12. प्रेमाराम पुत्र श्रीमती बाबूदेवी सभी जातियान् जाट, निवासीगण– श्री कृष्णनगर, तहसील आउ, जिला फलोदी। 13. मगाराम पुत्र श्री फताराम फौत के कायम मुकामः– 13.1. जेठी पत्नी स्व. श्री मगाराम 13.2. श्रवणराम पुत्र स्व. श्री मगाराम 13.3. दलाराम पुत्र स्व. श्री मगाराम 13.4. पूरा पुत्री स्व. श्री मगाराम पत्नी श्री तिलाराम 13.5. संतोष पुत्री स्व. श्री मगाराम पत्नी श्री आसूराम 13.6. दिपिका पुत्री स्व. श्री मगाराम नाबालिग जरिये कुदरती माता जेठी पत्नी स्व. श्री मगाराम 13.7. पुनी पुत्री स्व. मगाराम पत्नी श्री आईदानराम, जाति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाट गोदारा, निवासी– चिमाणा, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।

13.8. कुनी पुत्री स्व. श्री मगाराम पत्नी श्री प्रेमाराम

13.9. चुखी पुत्री स्व. श्री मगाराम पत्नी श्री किसनाराम

13.10. चुन्नी पुत्री स्व. श्री मगाराम, पत्नी श्री तिलोक

सभी जातियान् जाट, निवासीगण– कपुरिया, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आऊ।

15. ग्राम पंचायत श्री कृष्णनगर, जरिये सचिव।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जून 2024 सहायक कलक्टर आऊ राजस्व मूल वाद संख्या 267/2023 प्रवीण कुमार बनाम चेतनराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 29 नवंबर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक, रेस्पोडेंट संख्या एक स्वयं एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 267/2023 अनवान प्रवीण कुमार बनाम चेतनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जून 2024 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ——00——) रूपये ————00———— अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ——00———— अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 29 नवंबर 2024 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर